नागरिकता संशोधन अधिनियम: एक प्रश्न

लेखक -नीरजा गोपाल जयाल

(लेखक, सिटीजनशिप एंड इट्स डिस्कंटेंट्स: एन इंडियन हिस्ट्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

24 दिसम्बर, 2019

"इस आलेख में हम भारतीय नागरिकता का प्रसंग और दर्शन, दुनिया भर के देशों की स्थिति, साथ ही क्यों नागरिकता संशोधन अधिनियम के निहितार्थ को अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया गया है, को जानेंगे।"

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 से पहले संविधान में नागरिकता के लिए भारतीय विचार और नियम क्या थे?

भारत के संविधान में नागरिकता पर अनुच्छेद (5-11) विशेष रूप से विभाजन के तुरंत बाद की स्थिति को देखते हुए तैयार किए गए थे, जिसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई और इसे 1955 में अंजाम दिया गया।

संविधान सभा ने जस सोली (किसी देश की धरती पर जन्म पर आधारित नागरिकता) के सिद्धांत को जस सैंग्यूनस के "नस्लीय" सिद्धांत (वंश पर आधारित नागरिकता) के मुकाबले अधिक प्रबुद्ध माना हालाँकि, नागरिकता के साथ-साथ पंजीकरण और देशीकरण, को भी 1955 के नागरिकता अधिनियम में मान्यता मिली।

भारतीय नागरिकता पर कानून एक संवैधानिक ढाँचे के भीतर स्थित है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और जाति, पंथ, जनजाति या लिंग के आधार पर उनके बीच भेदभाव नहीं करता है।

लेकिन अगर नया नागरिकता कानून भारतीय मुसलमानों को प्रभावित नहीं करता है, तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुसलमानों का बहिष्कार भारतीयों को परेशान करना चाहिए?

यह सच है कि सीएए वास्तव में भारतीय मुसलमानों को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ जोड़ा जाएगा, तो यह न केवल भारतीय मुसलमानों पर बल्कि सभी धर्मों के गरीब भारतीयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

यहाँ तक कि अगर NRC लागू नहीं किया गया और भेदभाव केवल CAA में अवैध प्रवासियों के संबंध में रहता है, तो धार्मिक भेदभाव का सिद्धांत चिंता का कारण है। एक बार इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद धार्मिक आधार पर भेदभाव कानून में स्वीकार्य हो जाएगा, इसके दायरे को अन्य क्षेत्रों तक भी सीमित करना या लागू करना संभव नहीं हो सकेगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019

क्या है?

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) एक ऐसा बिल है जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदायों के अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है।
- इन 6 समुदायों ((हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, तथा पारसी) के अलावा इन देशों से आने वाले मुसलमानों को यह नागरिकता नहीं दी जाएगी और यही भारत में इसके विरोध की जड़ है।

दुनिया में नागरिकता से संबंधित बहस में जस सैंग्यूनस को अपनाना कैसे महत्त्वपूर्ण रहा है?

परिवर्तन की दिशा बदलती है। जब डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने वास्तव में जन्मजात नागरिकता के विचार पर सवाल उठाया। दूसरी ओर, जर्मनी एक अधिक समावेशी दिशा में चला गया है, इसने

दोनों जस सोली और जस सैंग्यूनस के तत्वों के एक साथ संयोजित किया है। इसलिए इसमें ऐतिहासिक रूप से कई उतार-चढ़ाव और बदलाव देखने को मिले हैं।

भारतीय नागरिकता कानून दोनों को मान्यता देता है - लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब संशोधन के माध्यम से जस सोलि को जूस सैंग्यूनस के पक्ष में कम आँका गया, इसमें भारत में पैदा हुए उन लोगों को बाहर किया गया जिनके माता-पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी थे।

नया संशोधन इस बदलाव को समेकित करता है, जो एक धर्म-तटस्थ कानून में स्पष्ट रूप से धार्मिक कसौटी का परिचय देता है।

क्या यूएसएसआर और यूगोस्लाविया जैसे देशों के पतन ने जातीयता/नस्ल के विचार को बढ़ावा दिया? और भारत को एक विशिष्ट नागरिकता के विचार के लिए प्रेरित किया?

सोवियत संघ का विघटन और यूगोस्लाविया का पतन बहुत पहले हो गया था।

लोकवादी शासन का अनुभव करने वाले देशों में अति-राष्ट्रवाद और विदेशियों के प्रति घृणा को वैश्वीकरण तक अधिक से अधिक पहुँच के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन तथ्य यह है कि 1990 के दशक के मध्य तक हम बहुसांस्कृतिक दुनिया कहलाने वाले देशों में रहे हैं।

यूरोप में बहुसांस्कृतिवाद के पतन के लिए प्रेरणा के अलग-अलग स्रोत रहे हैं। वामपंथी से दक्षिणपंथ तक, यह पहचान की राजनीति के साथ व्यापक रूप से असंतोष तक विस्तृत था। यह असंतोष अल्पसंख्यकों के लिए समानता के सिद्धांत की असफलता तथा बहुसंख्यकों की जीवन चर्या को अल्पसंख्यकों से पैदा हुए भय के कारण उत्पन्न हुआ।

विधेयक के प्रावधान

- इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों (जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों) को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के तहत् सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 में बदलाव का प्रस्ताव है।
- सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के मुताबिक, भारत में 11 वर्ष रहने के बाद ही यहाँ की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इस संशोधन बिल में गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए यह बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए यह समय की अवधि घटाकर 11 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई है।
- पूर्वोत्तर के संगठनों की चिंता को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव भी किए हैं। अब उन राज्यों में जहाँ इनर लाइन परमिट (ILP) लागू है उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) से छूट दी गई है। यही नहीं नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों के छह अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को भी इससे छूट हासिल होगी।
- सिटिजनशिप ऐक्ट 1955 के मुताबिक, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इस विधेयक में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल हुए हैं या उन्हें दी गई अवधि से ज्यादा समय तक रुक गए हैं। इन्हें जेल हो सकती है या स्वदेश लौटाया जा सकता है।
- नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों में बदलाव करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को अवैध प्रवासी वाले नियम से छूट दी है। यानी इस बिल के तहत् गैर मुस्लिम शरणार्थी यदि भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी पाए जाते हैं तो भी उन्हें जेल नहीं होगी।

हालाँकि, भारतीय मामला इन सभी से अलग है। इस देश की महान सभ्यता की विविधता अनिवार्य रूप से शासन की एक समावेशी वास्तुकला बनाती है।

संविधान सभा के विचार-विमर्श में और हमारे संविधान में स्वतंत्रता आंदोलन में यह शक्तिशाली अभिव्यक्ति पाई गई। भले ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया, भारत का संविधान एक दस्तावेज है जो विविधता और बहुलवाद की अनिवार्यता को दर्शाता है जिससे हम शासित हैं और इसमें सांस्कृतिक रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षण से लेकर धार्मिक अल्पसंख्यकों और यहाँ तक कि संघीय व्यवस्था के लिए शुरू में भाषा पर आधारित अधिकार शामिल हैं।

मुझे दुनिया के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है जिसमें एक पूरी आबादी को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया हो।

यहाँ तक कि राष्ट्रीय आईडी कार्ड भी विवादास्पद रहे हैं। 2006 में, यूनाइटेड किंगडम ने राष्ट्रीय आईडी कार्डों को राष्ट्रीय पहचान पत्र से जोड़ा, जिसमें प्रत्येक नागरिक द्वारा 50 श्रेणियों की जानकारी देना था। काले और दक्षिण एशियाई नागरिकों द्वारा भेदभाव के बारे में कई महत्त्वपूर्ण आपत्तियों व्यक्त किए गए।

गौरतलब है कि नस्लीय समानता आयोग ने कहा कि इससे दो-स्तरीय नस्लीय संरचना हो सकती है, जिसमें ब्रिटिश जातीय अल्पसंख्यकों को पंजीकृत करने के लिए बाध्य किया जा सकता है (राज्य या नियोक्ताओं द्वारा) जबकि गोरे ब्रिटिश लोग पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। अधिनियम को 2011 में निरस्त कर दिया गया और एक महीने के भीतर राष्ट्रीय पहचान रजिस्टर पर डेटा को नष्ट कर दिया गया।

असम में अनुभव के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी NRC अभ्यास की लागत कितनी हो सकती है?

असम NRC की लागत 1,600 करोड़ रुपये थी और 3.3 करोड़ आवेदकों को भर्ती करने के लिए 50,000 अधिकारियों को तैनात किया गया था। अब हम जानते हैं कि यह 1.9 मिलियन लोगों को छोड़कर समाप्त हो गया है। यदि हम इसे एक गणना के रूप में लेते हैं, तो 879 मिलियन मतदाताओं पर एक अखिल भारतीय NRC का खर्च 4.26 लाख करोड़ रुपये आएगा और इसके लिए 1.33 लाख अधिकारियों की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि

- इस विधेयक को 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। यही नहीं 12 अगस्त, 2016 में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
- समिति की रिपोर्ट आने के बाद 08 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया लेकिन पूर्वोत्तर में जबर्दस्त विरोध होने की वजह से इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका है। बाद में लोकसभा के भंग होने की वजह से विधेयक निष्प्रभावी हो गया था।
- विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाया गया है।
- विरोध में कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। विधेयक संविधान के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करता है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद (5 से 11) नागरिकता से संबंधित है।
2. नागरिकता के साथ पंजीकरण और देशीकरण को भी 1955 के नागरिकता अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई हैं।
3. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 नागरिकता अधिनियम-1955 में संशोधन के क्रम में सातवाँ संशोधन है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements:**

1. Article (5 to 11) of the Constitution of India deals with citizenship.
2. Registration and nationalization along with citizenship have also been recognized by the Citizenship Act of 1955.
3. The Citizenship (Amendment) Act-2019 is the seventh amendment to the amendment to the Citizenship Act-1955.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 23 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'नागरिकता की अवधारणा समाज और भू-राजनीति के विकास के साथ-साथ परिवर्तित होती रहनी चाहिए किंतु इसका आधार धार्मिक नहीं हो सकता।' इस कथन संदर्भ में भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 की समीक्षा कीजिए। (250 शब्द)

'The concept of citizenship should change along with the development of society and geopolitics but its basis cannot be religious.' In this context review Indian Citizenship Amendment Act-2019.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।